

28/9/24

पञ्जाब की राज शासकीय लोक
 अदालत के सम्बन्ध में बिनाडा के पत्र
 संख्या 107 काटी अधिवक्ता ने प्रभु
 पत्र पत्र का निलंबन किया है कि
 पञ्जाब के कर्म लोक अदालत
 की अदालत के जारी एवं
 परिवादीय के कर्म राजशाही
 हो जाने के बाद आगे प्रमाण
 कही पाठ्य है पञ्जाब अदालत
 विशेष शासकीय अदालत / अर्थ के अधिकार
 का उद्देश्य है पञ्जाब अदालत
 पञ्जाब की राज के शासकीय पत्र
 के अदालत पर अदालत विशेष शासकीय
 की राज के पञ्जाब के अदालत अदालत
 अदालत के अदालत अदालत अदालत

ए।

(Signature)
 सहायक कलक्टर
 एवं उप खण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा